भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 620

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों का सत्यापन

620. श्री राधाकृष्ण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के सत्यापन की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लाभार्थी हटाए या अयोग्य घोषित किए गए?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। जहाँ तक परिचालन संबंधी जिम्मेदारी का संबंध है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, राशन कार्डों में आधार सीडिंग, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण और उचित दर दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने एक व्यापक डेटा विश्लेषण का अभ्यास किया, जिसमें अनेक केपीआई - जैसे 100 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, साइलेंट राशन कार्ड, डुप्लिकेट राशन कार्ड और एकल-सदस्य राशन कार्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी-को पीडीएस डेटाबेस पर लागू किया गया। इस डेटाबेस का अन्य मंत्रालयों (आधार, सीबीडीटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एमसीए और सीबीआईसी) के डेटासेट के साथ भी मिलान किया गया।

...2/-

इस प्रक्रिया में लगभग 8.51 करोड़ लाभार्थियों (2024 से 2025) को चिह्नित किया गया और इन चिह्नित लाभार्थियों की सूची संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई ताकि क्षेत्र सत्यापन किया जा सके और इन मामलों पर जैसी उपयुक्त समझी जाए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अब तक, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपरोक्त चिह्नित लाभार्थियों में से 2.12 करोड़ लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं, जिससे पात्र प्रतीक्षा सूची वाले लाभार्थियों के लिए जगह बन गई है।

(ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संचालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, अर्थात् राशन कार्डों/लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लिकेट की पहचान, अपात्र अभिलेखों, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवासन आदि के परिणामस्वरूप, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2021 से 2025 (आज तक) के बीच लगभग 2.25 करोड़ राशन कार्डों को हटाने में सफल रहे हैं ताकि सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हटाए गए राशन कार्डों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हटाए गए राशन कार्ड (2021-25)

क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 (आज तक)**
1	आंध्र प्रदेश	13,128	30,94,232	52,610	49,215	50,681
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	196	950	47	512	102
3	अरुणाचल प्रदेश	-	1,151	328	268	1,128
4	असम	11,120	28,590	38,590	1,61,516	24,381
5	बिहार	15,678	1,61,809	4,49,525	16,86,266	1,49,043
6	चंडीगढ़	-	684	2,291	207	2,401
7	छत्तीसगढ़	10,400	20,715	29,108	57,371	60,496
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन तथा दीव	2,454	73	1	151	1,101
9	दिल्ली	448	116	3,686	61,292	11,438
10	गोवा	805	2,117	5,801	166	3,467
11	गुजरात	2,19,151	1,32,519	1,35,362	30,889	69,102
12	हरियाणा	-	1,96,174	8,49,972	3,28,557	13,43,474
13	हिमाचल प्रदेश	2,538	3,299	7,551	9,673	7,400
14	जम्मू और कश्मीर	33,677	2,927	5,403	4,767	3,036
15	झारखण्ड	-	75,137	29,771	6,374	67,730
16	कर्नाटक	42,558	48,477	74,401	27,105	50,594
17	केरल	1,04,511	41,998	40,800	11,555	7,261
18	लद्दाख	614	30	58	615	764
19	लक्षद्वीप	33	38	89	88	32
20	मध्य प्रदेश	9,93,704	98,186	4,96,092	7,04,848	2,60,285
21	महाराष्ट्र	36,119	1,44,985	2,01,676	1,74,342	1,33,469
22	मणिपुर	9,411	30,493	9,684	7,215	6,515
23	मेघालय	-	402	1,612	449	102
24	मिजोरम	1,637	3,617	4,115	2,548	742
25	नागालैंड	-	3,428	3,177	3,924	1,347
26	ओडिशा	-	64,122	31,240	19,420	1,21,134
27	पुद्दुचेरी	1,731	538	847	898	763
28	पंजाब	3,305	1,52,497	1,23,722	7,520	2,290
29	राजस्थान	1,35,283	2,65,390	26,386	1,03,444	6,05,826
30	सिक्किम	-	458	-	604	2,116
31	तमिलनाडु	2,00,942	86,150	73,875	63,905	33,339

...2/-

32	तेलंगाना	-	4,988	34,064	3,424	1,40,947
33	त्रिपुरा	1,100	1,254	800	467	4,334
34	उत्तर प्रदेश	7,19,213	9,99,100	7,00,138	8,41,123	5,97,012
35	उत्तराखंड	49,712	66,627	9,691	4,589	3,014
36	पश्चिम बंगाल	2,93,326	6,47,003	7,56,860	5,09,952	3,74,519
	कुल	**29,02,794**	**63,80,274**	**41,99,373**	**48,85,259**	**41,41,385**

*****